उनवान - गोरधनराम बनाम छुटटन, वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

RS/2016/70

		नम्बर अहकाम हुक्म में
09/04/19	पत्रावली पेश हुई। वादी ~~बकुलम~~ वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी वगैरह / परिवादी अधिवक्ता व्यस्त कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली बोले जवाब हेतु आगामी दिनांक 14/05/19 को पेश हो।	
14/05/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित / परिवादी अधिवक्ता अवकाश पर होने के कारण पत्रावली बोले जवाब हेतु आगामी दिनांक 03/06/19 को पेश हो।	
03/06/19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित भूमि राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 26 के अनुसार टेनेंसी की भूमि पर निर्धारित व्यवसाय का पुनर्गठन का अधिकार नहीं है। पत्रावली प्रतिवादी के गायब होने से इसी तरह पर अनिश्चित की जाती है। पत्रावली पेश युक्त हकार दायरा में कर हकार दाखिल दफ्तर हो।	